PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Thursday 11th September 2014, Page: 14
Width: 12.57 cms, Height: 9.10 cms, a4, Ref: pmin.2014-09-11.44.97

दवा परीक्षण में नहीं चलेगी मनमानी

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद केंद्र सरकार ने दवा परीक्षण के नियमों को सख्त कर दिया है। हाल में जारी आदेश के तहत अब नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति तभी मिलेगी जब वे नई खोज पर आधारित हों और बाजार में उपलब्ध मौजूदा दवाओं से बेहतर हों। या फिर देश में प्रचलित ऐसे मर्ज की दवा तैयार की गई हो जिसकी कोई दवा अब तक उपलब्ध नहीं थी।

भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इस संबंध में ड्रग एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के नियमों में संशोधन कर मेडिकल कालेजों, दवा कंपनियों एवं संबंधित पक्षों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 अक्तूबर 2013 को पारित आदेश में क्लिनिकल ट्रायलों को तीन पैरामीटरों पर मंजूरी देने को कहा गया है। आदेश के अनुसार भविष्य में इन तीन पैरामीटरों की जांच के बाद ही नई दवाओं को मंजूरी दी जाएगी। पहला, जिस दवा का परीक्षण होना है, उसमें कितना खतरा है और उसके कितने फायदे हैं। इस बारे में आंकड़े देने होंगे। दूसरा, जिस दवा के परीक्षण के लिए अनुमति मांगी जा रही है, वह बाजार में मौजूद दवाओं की तुलना में ज्यादा प्रभावी है, या फिर उसके नई खोज होने पर ही मंजूरी मिलेगी।

दरअसल, दवा कंपनियां पेटेंट आदि से बाहर निकलने के लिए पुरानी दवाओं में थोड़ा बहुत बदलाव कर फिर से उसे बाजार में ले आती हैं लेकिन अब यह नहीं चलेगा। यदि दवा नया इनोवेशन नहीं है या मौजूदा उपचार से बेहतर नहीं है तो उसके ट्रायल की अनुमति नहीं मिलगी। तीसरे पैरामीटर के तहत यह देखा जाएगा कि जिस दवा को परीक्षण की अनुमति मिल रही है, क्या उसकी बीमारी से ग्रस्त लोग भारत में हैं। पहले से भारत में कोई दवा नहीं होने के कारण क्या लोगों को उस दवा की सख्त जरूरत है।

कंपनियों पर नकेल

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने लागू किए मनुष्यों पर दवा परीक्षण के नए नियम
- नई खोज, देश में दवा नहीं होने और दुष्प्रभाव कम होने के आधार पर ही मिलेगी परीक्षण की अनुमति